FORM-21 C

(See Rule 64)

(FOR USE IN GENERAL ELECTION WHEN SEAT IS CONTESTED)

Declaration of the Result of the Election under section 66 of the Representation of the people ACT 1951

Election to the Legeslative Assembly of RAJASTHAN state from 104-MASUDA Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the representation of the people ACT, 1951, read with rule 64 of the conduct of Election Rules, 1961, I declare that -

NAME:- SHRI RAKESH PAREEK

ADDRESS: - VILLAGE (DURGAPURA) MIYAN, POST BHAGWANPURA TEHSIL SARWAR DISTRICT AJMER

Sponsered by INDIAN NATIONAL CONGRESS (Name of the recognized/ registered Political Party) has been duly elected to fill the seat in that house from the above constituency.

Place:-Aimer

Date:-11 DECEMBER 2018

(PARWAT SINGH CHUNDAWAT)

RETURNING OFFICER ASSEMBLY CONSTITUENCY, 104-MASUDA

(Sub Divisional Officer and Sub Divisional Magistrate, Masuda)

ASSEMBLY CO. LINEAR TO MASSIDE (104)

प्ररूप-21 ग

(नियम 64 देखिये)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

104—मसूदा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :--

नाम:- श्री राकेश पारीक

पता:-ग्राम (दुर्गापुरा) मियां, पोस्ट भगवानपुरा तहसील सरवाड जिला अजमेर

जो कि मान्यता प्राप्त / रिजस्ट्रीकृत पार्टी का नाम इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किये गये।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गये है।

स्थानः– अजमेर दिनांकः– 11 दिसम्बर 2018

N

(पर्वत सिंह चुण्डावत)

रिटर्निंग ऑफिसर

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र,104-मसूदा

(उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट,मसूदा)

(पर्वत सिंह चुण्डावत) रिटर्निंग ऑफ़्सिर (एस.वी.एम.)

विवानरामा क्षेत्र मसूचा (104)